न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 138/2019 वाद
विष्णु पिता गोपीलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा। – वादी

//बनाम//

1. गोपीलाल पिता जीवनलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. नारायण पिता गोपीलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. गंगा पुत्री गोपीलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. देवकन्या पुत्री गोपीलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा। – प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88, रा.का.अधि.

श्री जगदीश मेनारिया, अधिवक्ता वादी, उपस्थित

श्री योगेश सोलंकी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4, उपस्थित

निर्णय दिनांक 09.09.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजीयात वाके मौजा भावलिया की खाता संख्या 67 की आराजी नं. 37, 39, 40 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9300 हैक्टेयर तथार खाता संख्या 68 की आराजी नं. 26, 27, 28, 99, 188, 229, 619 कुल किता 7 कुल रकबा 6. 1400 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 69 की आराजी नं. 650 रकबा 1. 4900 हैक्टेयर, खाता संख्या 70 की आराजी नं. 35 रकबा 0.2600 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जीवनलाल जी मूल पुरूष थे जिनके वारिसान मोहनी बाई व गोपीलाल हुए। मोहनी बाई की भी मृत्यु हो चुकी है। गोपीलाल के नारायण, विष्णु, देवकन्या व गंगा हुए। यह भूमि जीवनलाल जी के जमाने से चली आ रही है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का प्रत्येक का जन्म से बाय बर्थ अधिकार निहित है। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि के 1/5, 1/5 हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसी अनुसार घोषणा कराने तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा कराने के अधिकारी हैं। विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 अन्य व्यक्तियों के

सिखावे में आकर वादी को जबरन उसके हक हिस्से से बेदखल करने की धमकीयां दे रहा है तथा बेदखल करने का असफल प्रयास किया इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री फरमाया जावे तथा विवादित भूमि में वादी का 1/5 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/5, 1/5 हक हिस्सा घोषित फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा राजीनामा प्रस्तुत किया और राजीनामें अनुसार वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम भावलिया की खाता संख्या 67, 68, 69, 70 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। पुश्तैनी सम्पत्ति साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी संवत 2021 से 24 ग्राम भावलिया की खाता संख्या 50 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। वर्तमान जमाबन्दी में प्रश्नगत भूमि गोपीलाल पिता जीवनलाल ब्राह्मण के नाम दर्ज रेकार्ड है। पूर्व में उक्त भूमि जीवनलाल, मोहनलाल पिता लाल जी ब्राह्मण के नाम दर्ज रेकार्ड थी। प्रश्नगत भूमि निर्विवाद रूप से पुश्तैनी होकर जीवनलाल को पिता की विरासत से प्राप्त होकर जीवनलाल की सभी संतानों का प्रश्नगत भूमि में जन्म से हित निहित है। पक्षकारान से लोक अदालत की भावना से राजीनामा प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य हैं। वाद वादी राजीनामें अनुसार डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादी राजीनामें अनुसार डिक्री योग्य है। विवादित भूमि मोजा वाके मौजा भावलिया की खाता संख्या 67 की आराजी नं. 37, 39, 40 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9300 हैक्टेयर तथार खाता संख्या 68 की आराजी नं. 26, 27, 28, 99, 188, 229, 619 कुल किता 7 कुल रकबा 6.1400 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 69 की आराजी नं. 650 रकबा 1.4900 हैक्टेयर, खाता संख्या 70 की आराजी नं. 35 रकबा 0.2600 हैक्टेयर भूमि में गोपीलाल पिता जीवनलाल के नाम दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/5, 1/5 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 09.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 138/2019 वाद

विष्णु पिता गोपीलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा। – वादी

//बनाम//

1. गोपीलाल पिता जीवनलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. नारायण पिता गोपीलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. गंगा पुत्री गोपीलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. देवकन्या पुत्री गोपीलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा। – प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88, रा.का.अधि.

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश सोलंकी की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी राजीनामें अनुसार डिक्री योग्य है। विवादित भूमि मोजा वाके मौजा भावलिया की खाता संख्या 67 की आराजी नं. 37, 39, 40 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9300 हैक्टेयर तथार खाता संख्या 68 की आराजी नं. 26, 27, 28, 99, 188, 229, 619 कुल किता 7 कुल रकबा 6.1400 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 69 की आराजी नं. 650 रकबा 1.4900 हैक्टेयर, खाता संख्या 70 की आराजी नं. 35 रकबा 0.2600 हैक्टेयर भूमि में गोपीलाल पिता जीवनलाल के नाम दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/5, 1/5 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 09.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 15:16:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: